

न्यायालय कलेक्टर ( शेखर वर्मा ) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 59/बी-121/2014-15

: आदेश ::

( आज दिनांक 17/08/2015 को पारित किया गया )

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 3.11.2015 को घटनास्थल ग्राम भाण्डाखापर-मन्नाकुआ तहसील जोबट में सड़क दुर्घटना (मोटरसाईकिल से गिरने से) होने पर कापसिंह पिता. छगन जाति भील निवासी ग्राम मन्नाकुआ की मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार जोबट के अभिमत से सहमत होकर पी.एम. रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार मृतक के निकटतम में उसकी लीला पति स्व. कापसिंह जाति भील निवासी ग्राम मन्नाकुआ तहसील जोबट को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावे।

31  
(शेखर वर्मा)  
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 740/रीडर/2015  
प्रतिलिपि:-

अलीराजपुर दिनांक.....17/8/15

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (सहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर )
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर । संलग्न बैंक खाते की छाया प्रति।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट ।
- 5 तहसीलदार तहसील जोबट ।
- 6 जिला जन सम्पर्क अधिकारी अलीराजपुर की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।
- 6 संबंधित लीला पति स्व. कापसिंह जाति भील निवासी ग्राम मन्नाकुआ तहसील जोबट की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर  
जिला अलीराजपुर